न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2015

1. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति माली
2. रणजीत पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति माली
3. हेमराज पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति माली

समस्त निवासीगण मालियों की बाड़ी ग्राम किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीवण पुत्र जगन्नाथ जाति माली
2. बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली

सर्व निवासीगण मालियों की बाड़ी, ग्राम किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 22/09/2021

उपस्थितः श्री गणेश प्रजापत — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री परमानन्द शर्मा — अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री शिवा पंवार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर उनकी एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 को दिनांक 03.09.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण की स्वयं की काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 किस्म गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 किस्म मकान एवं ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2 भूमि ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण की राजस्व रिकार्ड के अनुसार विरासत से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी कुल रकबा 01–11–00 भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण का कब्जा व स्वयं द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा/विरासत अनुसार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 जगन्नाथ की जाईन्दा संतान है जिन्हे विरासत से ख0नं0 2411/2 कुल रकबा 00–07–00 भूमि किस्म चाही प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 की प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी भूमि पर बुरी नजर व नियत है चूंकि ख0नं0 2411/2 कुल रकबा 00–07–00 भूमि के साथ प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी भूमि को बलात् कब्जा करके मिलाना चाहते है इस बाबत् आये दिन झगड़ा फसाद भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थीगण के साथ करते रहते है। दिनांक 28.08.2015 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने प्रार्थीगण को मालियों की बाड़ी ग्राम किशनगढ़ में अवस्थित मकान पर आकर खुले आम धमकी दी कि "तुम्हारे खेतो पर हम कब्जा कर लेंगे या हमको बेच दो तथा कीमत हम लोग तय करेंगे, नहीं बेचोगे तो देख लेना क्या अंजाम होगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे खेतो की रजिस्ट्री कब हो गई।" यदि अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर बलात् अतिक्रमण कब्जा कर लेते है तथा कूटरचित, मिलीभगत करके उक्त कुल रकबा 01–11–00 भूमि का गैर कानूनी रूप से बैचान अन्तरण कर देते है तो प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि से महरूम हो जायेंगे तथा उक्त आराजी भूमि से विधिक अधिकार जो प्रार्थीगण में निहित है उन अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। अतः प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन, अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू वादीगण की ओर से आकृष्ट है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 उनके रिश्तेदार, नौकर, चाकर, एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थीगण को बलात् बेकब्जा नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया गया है। ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 मकान तथा ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 भूमि गै0मु0 रास्ता है। ख0नं0 2409 रास्ता व ख0नं0 2410 की किस्म मकान होकर आवासीय सम्पत्ति होने के कारण उक्त मकान व रास्ता की भूमि पर काश्त होकर प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वर्तमान ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 भूमि के एकीकरण ख0नं0 1930 है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उक्त भूमि प्रार्थीगण की माता श्रीमती चान्दा बाई पत्नि श्री भंवरलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। प्रार्थीगण की माता श्रीमती चान्दा बाई पत्नि श्री भंवरलाल के द्वारा उक्त भूमि 01–05–00 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1978 को जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बन्ना को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था तब से जवाबकर्ता के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। जवाबकर्ता के पिता जगन्नाथ पुत्र श्री बन्ना की मृत्यु दिनांक 05.08.1980 को हो चुकी है। जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जवाबकर्ता को विरासत में प्राप्त हुई थी जिसके तहत् जवाबकर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जवाबकर्ता को मकान विरासत में प्राप्त हुआ है जिसके तहत् जवाबकर्ता का उक्त पर कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 रास्ता की भूमि है उक्त रास्ता का उपयोग आने जाने हेतु किया जाता है। प्रार्थीगण का उक्त पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है, ना ही उक्त पर किसी तरह की कोई काश्त की जाती है, ना ही काश्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त पर कब्जा होने व उनके द्वारा काश्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबुझकर स्व0 श्री बन्ना के सम्पूर्ण विधिक वारिसानो का सजरा में हवाला नहीं दिया गया है, ना ही प्रार्थीगण के द्वारा भंवरलाल की पत्नि प्रार्थीगण की माता श्रीमती चान्द बाई का हवाला दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल की पत्नि का नाम चान्दा बाई था, उक्त भूमि चान्द बाई के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। ख0नं0 2411/2 रकबा 00–07–00 भूमि जवाबकर्ता को विरासत में प्राप्त भूमि ना होकर जवाबकर्ता के द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल पुत्र श्री गणेश तथा प्रार्थीगण के भाई कैलाश पुत्र श्री भंवरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1995 को राशि 5000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार किशनगढ़ के यहा दिनांक 27.06.1995 को किया गया था तक से उक्त भूमि जवाबकर्ता के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है ऐसी स्थित में जवाबकर्ता के द्वारा उक्त भूमि पर बलात् कब्जा करने व ख0नं0 2411/2 रकबा 00–07–00 भूमि में मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबुझकर जवाबकर्ता की विरासत में प्राप्त व खरीदशुदा सम्पत्ति पर कब्जा करने की नियत से मन में बेईमानी आने के कारण गलत व निराधार तथ्य अंकित किये गये है। जवाबकर्ता के द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गई है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश करने का किसी तरह का कोई वाद कारण किसी भी दिनांक को उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबुझकर वाद कारण उत्पन्न होने की फर्जी दिनांक का अंकन कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, ना ही प्रार्थीगण की ओर से पेश मूल वाद मियाद मे है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। कब्जे प्राप्ति का अनुतोष चाहे बिना प्रार्थीगण द्वारा कथित रूप से मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, इस कारण प्रार्थीगण की ओर से पेश मूल वाद व प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। ख0नं0 2411/1 पर प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई कब्जा, काश्त व स्वामित्व नहीं है। जवाबकर्ता का ही उक्त भूमि पर कब्जा, काश्त व स्वामित्व है जो जवाबकर्ता को विरासत में प्राप्त हुआ है। उक्त खसरा संख्या 2411/1 रकबा 01–05–00 भूमि के एकीकरण ख0नं0 1930 है को जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय किया गया था परन्तु सहवन से उक्त भूमि का नामान्तकरण जवाबकर्ता के पिता के नाम खुलने से रह जाने के कारण जवाबकर्ता के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि पर नामान्तकरण खुलवाने बाबत् दिनांक 30.06.2017 को तहसीलदार किशनगढ़ के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार जी के द्वारा पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके तहत् पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 09.07.2017 को जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट में उक्त भूमि पर जवाबकर्ता व उनके परिवार का कब्जा काश्त है बाबत् रिपोर्ट दी गई थी। इस प्रकार उक्त भूमि जवाबकर्ता के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि है जिस पर जवाबकर्ता का ही हक हिस्सा अधिकार है। प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण व जवाबकर्ता के पूर्वजो के द्वारा पारिवारिक व्यवस्थाओं के तहत् सम्पत्तियों का आपस में मौखिक रूप से विभाजित कर अलग–अलग काबिज हो गये थे। जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ को पारिवारिक व्यवस्थाओं के तहत् प्राप्त सम्पत्ति, जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ की मृत्यु के बाद जवाबकर्तागण को विरासत में प्राप्त हुई है जिसके तहत् जवाबकर्ता उक्त सम्पत्ति पर काबिज है। प्रार्थीगण का उक्त पर किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त समस्त पारिवारिक समझोतों की जानकारी होने के बावजूद भी गलत रूप से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है। इस कारण प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कब्जा काश्त चला आ रहा था। जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जवाबकर्ता को विरासत में प्राप्त हुई थी जिसके तहत् जवाबकर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जवाबकर्ता को मकान विरासत में प्राप्त हुआ है जिसके तहत् जवाबकर्ता का उक्त पर कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 रास्ता की भूमि है उक्त रास्ता का उपयोग आने जाने हेतु किया जाता है। प्रार्थीगण का उक्त पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है, ना ही उक्त पर किसी तरह की कोई काश्त की जाती है, ना ही काश्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त पर कब्जा होने व उनके द्वारा काश्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ख0नं0 2411/2 रकबा 00–07–00 भूमि जवाबकर्ता को विरासत में प्राप्त भूमि ना होकर जवाबकर्ता के द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल पुत्र श्री गणेश तथा प्रार्थीगण के भाई कैलाश पुत्र श्री भंवरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1995 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार किशनगढ़ के यहा दिनांक 27.06.1995 को किया गया था तब से उक्त भूमि जवाबकर्ता के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है ऐसी स्थित में जवाबकर्ता के द्वारा उक्त भूमि पर बलात् कब्जा करने व ख0नं0 2411/2 रकबा 00–07–00 भूमि में मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जवाबकर्ता के द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी गई है। प्रार्थीगण के द्वारा जानबुझकर वाद कारण उत्पन्न होने की फर्जी दिनांक का अंकन कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। कब्जे प्राप्ति का अनुतोष चाहे बिना प्रार्थीगण द्वारा कथित रूप से मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, इस कारण प्रार्थीगण की ओर से पेश मूल वाद व प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उक्त खसरा संख्या 2411/1 रकबा 01–05–00 भूमि के एकीकरण ख0नं0 1930 है को जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय किया गया था परन्तु सहवन से उक्त भूमि का नामान्तकरण जवाबकर्ता के पिता के नाम खुलने से रह जाने के कारण जवाबकर्ता के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि पर नामान्तकरण खुलवाने बाबत् दिनांक 30.06.2017 को तहसीलदार किशनगढ़ के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार जी के द्वारा पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके तहत् पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 09.07.2017 को जांच रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज करने का निवेदन किया।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण को राजस्व रिकार्ड के अनुसार विरासत से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी कुल रकबा 01–11–00 भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व स्वयं द्वारा काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 की प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी भूमि पर बुरी नजर व नियत है चूंकि ख0नं0 2411/2 कुल रकबा 00–07–00 भूमि के साथ प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी भूमि को बलात् कब्जा करके मिलाना चाहते है इस बाबत् आये दिन झगड़ा फसाद भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थीगण के साथ करते रहते है। यदि अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर बलात् अतिक्रमण कब्जा कर लेते है तथा कूटरचित, मिलीभगत करके उक्त कुल रकबा 01–11–00 भूमि का गैर कानूनी रूप से बैचान अन्तरण कर देते है तो प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी भूमि से महरूम हो जायेंगे तथा उक्त आराजी भूमि से विधिक अधिकार जो प्रार्थीगण में निहित है उन अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। अतः प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन, अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू वादीगण की ओर से आकृष्ट है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 उनके रिश्तेदार, नौकर, चाकर, एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थीगण को बलात् बेकब्जा नहीं करे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 मकान तथा ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 भूमि गै0मु0 रास्ता है। ख0नं0 2409 रास्ता व ख0नं0 2410 की किस्म मकान होकर आवासीय सम्पत्ति होने के कारण उक्त मकान व रास्ता की भूमि पर काश्त होकर प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वर्तमान ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 भूमि के एकीकरण ख0नं0 1930 है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की माता श्रीमती चान्दा बाई पत्नि श्री भंवरलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। जिसको उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1978 को जवाबकर्ता के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बन्ना को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था तब से जवाबकर्ता के पिता का उक्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पेश की गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट में उक्त भूमि पर जवाबकर्ता व उनके परिवार का कब्जा काश्त है बाबत् रिपोर्ट दी गई थी। प्रार्थीगण के द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण व जवाबकर्ता के पूर्वजो के द्वारा पारिवारिक व्यवस्थाओं के तहत् सम्पत्तियों का आपस में मौखिक रूप से विभाजित कर अलग–अलग काबिज हो गये थे। प्रार्थीगण को उक्त समस्त पारिवारिक समझोतों की जानकारी होने के बावजूद भी गलत रूप से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– पत्रावली के साथ संलग्न ग्राम किशनगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 अनुसार खाता संख्या नया 29 पुराना 31 ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 किस्म मकान एवं ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2 भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तणीय क्षति– संलग्न जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तणीय क्षति का बिन्दु बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

न्यायालय हाजा का अभिमत है कि ग्राम किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 29 पुराना 31 ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 किस्म मकान एवं ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2 भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक उभयपक्ष वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करे ताकि वाद बाहुलता ना बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जाती है कि उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 29 पुराना 31 ख0नं0 2409 रकबा 00–04–00 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 2410 रकबा 00–02–00 किस्म मकान एवं ख0नं0 2411/1 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2 भूमि में वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)